न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 152/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/245)

निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण :–

1. मनमोहिनी कंवर पत्नी स्व. श्री संतु सिंह उम्र 76 वर्ष
2. सुमेर सिंह पुत्र स्व. श्री संतु सिंह उम्र 49 वर्ष
3. भवानी सिंह पुत्र स्व. श्री संतु सिंह उम्र 47 वर्ष

समस्त जातियान राजपूत निवासी ब्राह्मणों का बास, ग्राम पालासनी, पं.स. लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/निगरानीकर्ता:–

1. ग्राम पंचायत पालासनी जरिये ग्राम विकास अधिकारी, पालासनी, तहसील व जिला जोधपुर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत पालासनी, तहसील व जिला जोधपुर।
3. स्व. श्री घनश्याम सिंह के कायम मुकाम–

3/1 श्रीमती कैलाश कंवर पत्नी स्व. घनश्याम सिंह उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत पालासनी तहसील व जिला जोधपुर हाल निवास प्लॉट नं. 2–ए, भगवती कॉलोनी, सेक्टर डी, हाईकोर्ट कॉलोनी के सामने, पी.डब्ल्यू.डी. चौराहा, जोधपुर।

3/2 भवंर सिंह पुत्र स्व. स्व. घनश्याम सिंह उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत पालासनी तहसील व जिला जोधपुर हाल निवास प्लॉट नं. 2–ए, भगवती कॉलोनी, सेक्टर डी, हाईकोर्ट कॉलोनी के सामने, पी.डब्ल्यू.डी. चौराहा, जोधपुर।

3/3 श्रीमती गुलाब कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह राठौड पुत्री स्व. घनश्याम सिंह उम्र 49 वर्ष निवासी नेहरू पार्क के पीछे, सरदारपुरा, जोधपुर।

3/4 श्रीमती किशन कंवर पत्नी तरूण सिंह चौहान पुत्री स्व. घनश्याम सिंह उम्र 47 वर्ष निवासी नेहरू पार्क रेलवे वर्कशॉप कॉलोनी, जोधपुर।

3/5 श्रीमती गायत्री कंवर पत्नी सुमेर सिंह चौहान पुत्री स्व. घनश्याम सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी रिचका चौक, एकों की पोल, पोकरण, राजस्थान।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

4. चैन सिंह पुत्र स्व. श्री गोविंद सिंह उम्र व्यस्क
5. खुमान सिंह पुत्र स्व. श्री गोविंद सिंह उम्र व्यस्क
6. गजे सिंह पुत्र स्व. श्री गोविंद सिंह उम्र व्यस्क
7. गोपाल सिंह पुत्र स्व. श्री बालु सिंह उम्र व्यस्क

जातियान रावणा राजपूत निवासीयान ब्राह्मणों का बास, ग्राम पालासनी, पं.स. लूणी, तहसील व जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व संकल्प सं. 02 दिनांक 20.12.1980 के तहत पट्टा सं. 47 जो ग्राम पंचायत कोर्ट पालासनी, पं.स. लूणी, जिला जोधपुर द्वारा अप्रार्थी सं. 7 के पक्ष में जारी हुआ, तत्पश्चात् दिनांक 20.04.2018 को प्रस्ताव सं. 1 के द्वारा नियम 157 के तहत उक्त पट्टे का पुनः विधि मान्यकरण किया गया।

<u>उपस्थिति</u> :–

1. अधिवक्ता श्री मनोहर सिंह राठौड, श्री रमेश कुमार शर्मा (प्रार्थीगण की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह चौहान(अप्रार्थी सं. 3/1 से 3/5 एवं 7 की ओर से)
   अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह राठौड (अप्रार्थी सं. 4 से 6 की ओर से)

निर्णय

दिनांक 27.04.2026

1. उपर्युक्त निगरानी राजस्थान पंचायतीराज एक्ट 1994 की धारा 97 के तहत संकल्प सं. 02 दिनांक 20.12.1980 के तहत पट्टा सं. 47 जो ग्राम पंचायत कोर्ट पालासनी, पं.स. लूणी, जिला जोधपुर द्वारा अप्रार्थी सं. 7 के पक्ष में जारी हुआ, तत्पश्चात् दिनांक 20.04.2018 को प्रस्ताव सं. 1 के द्वारा नियम 157 के तहत उक्त पट्टे का पुनः विधि मान्यकरण किया गया, को अपास्त करने हेतु न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर में दिनांक 12.04.2021 को पेश की गई है, जहां से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई।
2. निगरानी प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 3/1 से 3/5 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह चौहान ने तथा अप्रार्थी सं. 4 से 6 तक की ओर से अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह राठौड़ व अन्य ने वकालतनामा पेश किया।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

3. निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों अनुसार, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता गण व अप्रार्थी सं. 3 ता 7 के पूर्वज स्व. श्री बालू सिंह के नाम से रहवासीय जायदाद बमुकाम ब्राह्मणों का बास, ग्राम पालासनी, जिला जोधपुर में स्थित है जिसके पूर्व में स्व. मदनलाल ब्राहमण का मकान, पश्चिम में स्व. प्रताप जी ब्राहमण का थाला व सार्वजनिक रास्ता, उत्तर में स्व. मदनलाल जी ब्राहमण का थाला, दक्षिण में स्व. पूसाराम ब्राहमण की निजी गली स्थित है। श्री बालू सिंह का स्वर्गवास सन् 1981 में हो चुका है। स्व. श्री बालू सिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपनी जायदाद को 4 भागों में विभक्त कर अपने चारों पुत्र श्री संतु सिंह, घनश्याम सिंह, स्व. गोविंद सिंह व गोपाल सिंह को दे दी मगर उपरोक्त बंटवाडा बाबत पक्षकारान के बीच उस वक्त विवाद नहीं होने के कारण विधिक रूप से लिखित में निष्पादित व पंजीबद्ध नहीं हुआ। जुलाई 2013 में उपरोक्त वर्णित जायदाद का बाई मीट्स एवं बाउण्ड्स विधिक बंटवारा हेतु अप्रार्थी सं. 4 से 6 की ओर से एक वाद बाबत बंटवाडा जायदाद व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिसमें निगरानीकर्तागण के साथ अप्रार्थी 5 व 7 भी बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार है। उक्त वाद में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता को अप्रार्थी सं. 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी की प्रतिलिपि प्राप्त हुई, जिसमें अप्रार्थी सं. 7 ने उपरोक्त वर्णित जायदाद का दक्षिणी–पश्चिमी हिस्सा अप्रार्थी सं. 7 का पट्टा सुदा होना अभिलिखित किया। न्यायालय के आदेशानुसार उपरोक्त तथाकथित पट्टा सं. 47 की छायाप्रति अप्रार्थी सं. 7 से निगरानीकर्ता को उपलब्ध करवाई। ग्राम पंचायत ने निगरानीकर्तागण व अप्रार्थी सं. 3 ता 7 की संयुक्त पैतृक संपति के बाबत मात्र अप्रार्थी सं. 7 के पक्ष में बाले–बाले विधि विरूद्ध पट्टा सं. 47 जारी किया है।

अतः संकल्प सं. 02 दिनांक 20.12.1980 के तहत पट्टा सं. 47 जो ग्राम पंचायत कोर्ट पालासनी, पं.स. लूणी, जिला जोधपुर द्वारा अप्रार्थी सं. 7 के पक्ष में जारी हुआ, तत्पश्चात् दिनांक 20.04.2018 को प्रस्ताव सं. 1 के द्वारा नियम 157 के तहत उक्त पट्टे का पुनः विधि मान्यकरण किया गया, को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

4. प्रस्तुत निगरानी पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 3/1 से 3/5, 7 एवं 4 से 6 तक के विद्वान अभिभाषक गण की बहस सुनी गई।

5. निगरानीकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनोहर सिंह राठौड ने निगरानी में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि पट्टा सं. 47 की भूमि विवादित एवं सयुंक्त पुश्तैनी भूमि है, जिसके संबंध में सिविल कोर्ट में वर्ष 2014 से वाद

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

विचाराधीन है। जब सिविल कोर्ट में वाद विचाराधीन था, उसमें अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब में आक्षेपित पट्टा के संबंध में कोई विवरण अभिलिखित नहीं किया गया। निगरानीकर्ता एवं अप्रार्थी सं. 3 से 7 तक उक्त विवादित भूमि के सह भागीदार होने के नाते बिना सहमति के जारी उक्त आक्षेपित पट्टा फर्जी एवं विधि विरूद्ध है। उक्त आक्षेपित पट्टा सं. 47 के संबंध में ग्राम पंचायत, पालासनी एवं पंचायत समिति, लूणी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तथा उक्त आक्षेपित पट्टा का पुनः विधि मान्यकरण किया जाना आधारहीन है। अतः उक्त आक्षेपित पट्टा सं. 47 एवं उसके पुनः विधि मान्यकरण विधि विरूद्ध एवं फर्जी होने से निरस्त किया जावे।

6. अप्रार्थी सं. 3/1 से 3/5, 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह चौहान ने निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का प्रत्युत्तर देते हुए कथन किया कि उक्त आक्षेपित पट्टा श्री बालु सिंह के छोटे पुत्र श्री गोपाल सिंह के नाम सन् 1980 में जारी किया गया था। सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद अन्य भूमि के बाडा एवं पट्टा भूमि के विवाद को लेकर दायर किया गया है। ग्राम पंचायत में पट्टाधारक के पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड के अलावा अन्य समस्त रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। आक्षेपित पट्टा सन् 1980 में जारी हुआ था, जबकि सिविल न्यायालय में वाद सन् 2014 में दायर किया गया इस प्रकार उक्त वाद में आक्षेपित पट्टा को फर्जी साबित कर देने से किसी भी प्रकार का लाभ वाद में नहीं मिलेगा। इसी प्रकार सन् 1981 में हमारे पिताजी ने चारो पुत्रों को अलग–अलग प्रोपर्टी दे दी, ऐसा प्रार्थीगण ने अपील मीमों में लिखा है। अतः उक्त निगरानी खारिज की जावे। फॉर्म 3 के संलग्न उक्त आक्षेपित पट्टे को पंजीयन करवाये जाने की सत्यापित प्रति एवं आक्षेपित पट्टे की स्पष्ट एवं पठनीय प्रति पेश की गई है।
7. अप्रार्थी सं. 4 से 6 तक के विद्वान अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह राठौड ने प्रस्तुत निगरानी में लिखित जवाब पेश कर कथन किया है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर जैर निगरानी पंचायत सकंल्प सं. 2 दिनांक 20.12.1980 के तहत जारी पट्टा सं. 47 व उससे संबंधित नियम 157 के तहत पट्टे का पुनः विधिमान्यकरण प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 20.04.2018 को निरस्त फरमावे।
8. प्रस्तुत निगरानी में ग्राम पंचायत पालासनी एवं पंचायत समिति, लूणी से आक्षेपित पट्टा से संबंधित मिसल सं. 47, पट्टा सं. 47 जारी दिनांक 20.12.1980 की पट्टा बुक व ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही का रजिस्टर एवं पुनः विधिमान्यकरण दिनांक 20.04.2018 से संबंधित अभिलेख तलब किया गया।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उक्त के प्रत्युत्तर में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पालासनी ने अपने पत्रांक 29 दिनांक 28.01.2026 से विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणी को सूचित किया है कि उपरोक्त आक्षेपित पट्टा के संबंध में पंचायत में रिकॉर्ड खोजा गया, साथ ही पूर्व ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क किया गया। उक्त मूल रिक़ॉर्ड वर्तमान में उपलब्ध चार्जलिस्ट अनुसार उपलब्ध नहीं है तथा ढूंढने पर भी नही मिला।

इसी प्रकार विकास अधिकारी, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर से भी ग्राम पंचायत पालासनी द्वारा मिसल सं. 47, पट्टा सं. 47 दिनांक 20.12.1980 के संबंध में मूल रिकॉर्ड चाहा गया, जिसके संबंध में अपने पत्रांक 42 दिनांक 06.04.2026 से इस न्यायालय को सूचित किया है कि पंचायत समिति कार्यालय की पंचायत शाखा में भी उपरोक्त पट्टे से संबंधित कोई तीसरी परत उपलब्ध नहीं है।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन कर अध्ययन किया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रस्तुत कथनों व तर्कों पर मनन किया। संबंधित विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया।

(a) प्रार्थीगण ने यह निगरानी ग्राम पंचायत कोर्ट, पालासनी, पंचायत समिति, लूणी, जिला जोधपुर द्वारा मिसल सं. 47 में दिनांक 20.12.1980 को जारी पट्टा सं. 47 बहक श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री बालु सिंह कौम राजपूत के नाम 129 वर्गगज तथा उस पर प्रस्ताव सं. 1 के द्वारा नियम 157 के तहत किये गये पुनः विधिमान्यकरण दिनांक 20.04.2018 को अपास्त करने हेतु पेश की है तथा निगरानी के साथ उक्त विवरण के पट्टे की फोटोप्रति पेश की है, जिसके अनुसार आक्षेपित पट्टा नियम 266 राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के तहत पंचायत के संकल्प सं. 2 दिनांक 20.12.1980 अनुसार जारी किया है जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत पालासनी के हस्ताक्षर है।

(b) निगरानीधीन पट्टा का अभिलेख ग्राम पंचायत पालासनी से तलब करने पर ग्राम पंचायत, पालासनी ने पत्रांक 29 दिनांक 28.01.2026 से विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणी को सूचित किया है कि उपरोक्त आक्षेपित पट्टा के संबंध में पंचायत में रिकॉर्ड खोजा गया, साथ ही पूर्व ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क किया गया। उक्त मूल रिकॉर्ड वर्तमान में उपलब्ध चार्जलिस्ट अनुसार उपलब्ध नहीं है तथा ढूंढने पर भी नही मिला।

इस प्रत्युत्तर के बाद विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लूणी से उनके कार्यालय में रखी जाने वाली पट्टे की प्रति मांगी गई। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लूणी,

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जिला जोधपुर ने पत्रांक 42 दिनांक 06.04.2026 से सूचित किया है कि पंचायत समिति कार्यालय की पंचायत शाखा में भी उपरोक्त पट्टे से संबंधित कोई तीसरी परत उपलब्ध नहीं है।

(c) उक्त प्रकार के सभी स्तरों पर किये गये प्रयासों के बावजूद भी आक्षेपित पट्टा जारी करने हेतु संधारित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ है। इस प्रकार इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि आक्षेपित पट्टा जारी करने का कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से संधारित नहीं किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियमों में दी गई प्रकिया का पालन करके आक्षेपित पट्टा अप्रार्थी गोपाल सिंह के पक्ष में जारी नहीं किया है। आक्षेपित पट्टा या तो जाली है या फिर तत्कालीन सरपंच ने अपने निजी स्तर पर ही पट्टा जारी किया है, जिसे विधि अनुरूप जारी पट्टा की श्रेणी में नहीं माना जा सकता।

(d) आक्षेपित पट्टा पुराने राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के तहत जारी राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अंतर्गत जारी किया है, जिनमें नियम 256 से 268 तक में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में पट्टे जारी करने की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसमें आवेदन प्राप्त करना, पत्रावली संधारित करना, पट्टा बही रखना, कमेटी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करना, मौका का नक्शा तैयार करना, सार्वजनिक आक्षेप प्राप्त करना, ग्राम पचांयत की बैठक में प्रस्ताव पारित करना, निर्धारित प्रपत्र में पट्टा जारी करना शामिल है। उक्तानुसार प्रकिया अपनाए बिना आबादी भूमि में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता तथा हस्तगत प्रकरण में उक्तानुसार प्रकिया अपनाकर आक्षेपित पट्टा जारी करने का पूर्णतः अभाव पाया गया है।

(e) (i) उक्त विधिक प्रावधानों की रोशनी में, हस्तगत निगरानी में आक्षेपित पट्टों का परीक्षण करने से निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम पंचायत ने विधिक प्रकिया अपनाकर आक्षेपित पट्टे जारी ही नहीं किये है तथा प्रकिया से संबंधित किसी भी प्रकार का अभिलेख ग्राम पंचायत पालासनी में संधारित ही नहीं किया गया है, इसलिए रिकॉर्ड के अभाव में आक्षेपित पट्टों की वैधानिकता, सत्यता व औचित्यता का परीक्षण धारा 97 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायिक विनिश्चयों में यह प्रतिपादित किया है कि आक्षेपित पट्टों से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आक्षेपित पट्टा निगरानी के माध्यम से खारिज किया जा सकता है तथा निगरानी को ग्रहण

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

करने में कोई म्याद भी निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि जारी पट्टे प्रारंभ से ही अवैध व शून्य है–

- 2000 AIR (Raj.) - Chiman lal VS Rajasthan State
- 2000 AIHC 2648 -Devi lal VS Rajasthan State
- 2000 AIHC 2574 -Kamlesh VS Rajasthan State
- (2009)4 CDR 1962 (Raj.) 1962 (DB) (Raj.) Bhiyaram VS Addl. Collector Barmer
- 1999 DNJ 672 -Narayan lal VS State
- (2018)3 RLW 2325-Ghewar Chand VS Rajasthan State
- SBCWP No. 8612/2008 (D/d 23.10.2008)
- SBCWP No. 9126/2016 (D/d 12.08.2016)
- SBCWP No. 8148/2012 (Shanti Devi VS State) (D/d 25.11.2016)
- 2013(1) WLC (Raj) 768 Para 8 (Nagarmal VS ADM Sikar)
- SBCWP No. 8211/2012 (Lokesh VS Panchayat Samiti Bhadesar) (D/d 03.02.2022)

(ii) इसी प्रकार निगरानी में परीक्षण के दौरान अवैध रूप से पट्टा जारी होना पाया जाने पर रजिस्टर्ड पट्टा भी खारिज किया जा सकता है, ऐसे अवैध पट्टे को सिविल कोर्ट से खारिज करवाने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है ऐसी व्यवस्था निम्न न्यायिक विनिश्चयों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित की है:–

1. नागरमल बनाम एडीएम सीकर– 2013(1) WLC (Raj)-768
2. नगर परिषद पाली बनाम दीनदयाल– DBSAW No. 485/2013 (D/d-16-07-2015, RHC Jodhpur)
3. झुमरराम बनाम एडीएम– ।।, जोधपुर–DBSAW No. 656/2017, (D/d 15-12-2017, RHC Jodhpur)
4. कमलादेवी बनाम स्टेट– DBSAW No. 136/2017 (D/d 27-03-2017)
5. मिश्रीमल बनाम स्टेट– SBCWP No. 5206/2016 (D/d 21-09-2016, RHC Jodhpur)

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(iii)इसी प्रकार संयुक्त परिवार की पुश्तैनी भूमि पर पट्टा जारी करते समय हितबद्ध सभी पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के बाद ही ग्राम पंचायत को आवंटन/नियमन का पट्टा जारी करना चाहिए। संयुक्त परिवार के अन्य व्यक्तियों के हितों की अनदेखी करके केवल मात्र एक सदस्य के पक्ष में पट्टा जारी करना न्यायोचित नहीं है। ऐसी ही व्यवस्था, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने SBCWP No. 16564/2021 (बंशीलाल बनाम स्टेट) में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2024 में दी है–

"If there is an ancestral property for which Patta is to be issued and the shares in the property had not been determined and divided, the allotment Patta should not be done in favour of one party, unless it is brought before the authority that all the other parties have relinquished their rights in favour of one person or there is no dispute with respect to grant of the Patta in favour of one of the parties."

10. उपरोक्तानुसार विवेचन एवं विश्लेषण से इस न्यायालय की सुविचारित राय में आक्षेपित पट्टा सं. 47 दिनांक 20.12.1980 अप्रार्थी गोपाल सिंह के पक्ष में गलत व विधि प्रावधानों के विपरीत जारी किया है (यदि जारी हुआ है तो) तथा वह अवैध व शून्य है तथा खारिज योग्य है। इसी प्रकार उक्त आक्षेपित पट्टे पर प्रस्ताव सं. 1 के द्वारा नियम 157 के तहत किया गया पुनः विधिमान्यकरण दिनांक 20.04.2018 भी आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

आदेश

11. उपरोक्त निष्कर्षानुसार ग्राम पंचायत कोर्ट, पालासनी द्वारा मिसल सं. 47 में जारी पट्टा सं. 47 दिनांक 20.12.1980, प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 20.12.1980 से बहक गोपाल सिंह पुत्र श्री बालू सिंह जाति राजपूत निवासी पालासनी बनाप 129 वर्गगज खारिज किया जाता है तथा इसे अवैध व शून्य करार दिया जाता है तथा इस संबंध में पारित समस्त प्रस्ताव (यदि पारित हो तो) खारिज किये जाते है। इसी प्रकार उक्त आक्षेपित पट्टे पर प्रस्ताव सं. 1 के द्वारा नियम 157 के तहत किया गया पुनः विधिमान्यकरण दिनांक 20.04.2018 आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त पट्टा संख्या 47 के निरस्तीकरण से निगरानीकर्ता को इस पट्टे की भूमि पर कोई विधिक अधिकार, हक, टाइटल, स्वत्व, आधिपत्य,

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

स्वामित्व इत्यादि किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं होंगें उसे अपना हक साक्ष्य से सक्षम स्तर पर प्रमाणित करना होगा। ग्राम पंचायत नियमों में दिये गये प्रावधानों की अक्षरशः पालना करते हुए निरस्त किये गये पट्टे से संबंधित भूखण्ड का विधि अनुसार निपटारा करने हेतु स्वतंत्र है।

13. उप पंजीयक तृतीय जोधपुर को निर्णय की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 04.05.2018 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 944 पृष्ठ संख्या 59 क्रम संख्या 201803053104877 पर पंजीबद्व दस्तावेज गोपाल सिंह पुत्र बालू सिंह के पक्ष में उक्त दस्तावेज की आपके कार्यालय में उपलब्ध कार्यालय प्रति पर इस निर्णयानुसार पट्टे के निरस्तीकरण का नोट लगाया जावे।

14. निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लूणी को उनके पत्रांक 42 दिनांक 06.04.2026 तथा ग्राम पंचायत पालासनी, पं. स. लूणी को उनके पत्रांक 29 दिनांक 28.01.2026 के संदर्भ में अभिलेख संधारण हेतु भेजी जावे।

15. अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर वर्ष 2018–19 लौटाया जावे।

16. अन्य लंबित समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।

17. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर